भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6121

1 अप्रैल, 2026 के लिए प्रश्न

असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति

6121. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल में आयी बाढ़ के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका के नुकसान को देखते हुए असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान्न की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है;

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और अन्य विशेष पैकेजों के तहत आवंटन सहित राहत के रूप में जारी और वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा का जिला-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राहत खाद्यान्न की खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण में शामिल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें देरी और कमी से बचने के लिए क्या समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान असम में बाढ़ राहत के लिए खाद्यान्न की खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण पर सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार अपने डिपो में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करती है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम सरकार सहित) को उनके द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान के आधार पर खाद्यान्नों के आबंटन के अनुसार स्टॉक जारी करती है।

संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिलावार आबंटन किया जा रहा है। इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2025-2026 (फरवरी 2026 तक) के लिए असम सरकार को खाद्यान्न का आबंटन 1553.870 टन है (अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1503.959 हजार टन चावल और टाइड ओवर श्रेणी के अंतर्गत 49.911 हजार टन गेहूं)।

भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन और संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त मांग के अनुसार खाद्यान्न जारी करता है। वर्ष 2025-26 मे आई बाढ़ के दौरान, ई-नीलामी के बिना खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से राज्य सरकारों को बिक्री के तहत, असम के विभिन्न राजस्व जिलों में कुल 14,536 टन खाद्यान्न का उप-आबंटन किया गया था। एफसीआई के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इसके विपरीत 2,339.51 टन खाद्यान्न का उठान किया गया है। लाभार्थियों को वास्तविक वितरण और योजनावार उपयोग (एसडीआरएफ/एनडीआरएफ आदि सहित) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिलावार उठान की स्थिति अनुबंध में है।

...2/-

(ग): सरकार एफसीआई के माध्यम से देश भर में निर्दिष्ट डिपो/गोदामों में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकता और वितरण के अनुसार मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का भंडारण करती है।

इसके अलावा, खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और निर्दिष्ट डिपो/बिंदुओं तक परिवहन का कार्य एफसीआई द्वारा किया जाता है। एफसीआई अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं और धान की खरीद करती है। किसानों से खाद्यान्नों की खरीद मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद कार्यों में एफसीआई की भूमिका बहुत सीमित है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा अपने नामित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार और एफसीआई, राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच नियमित संवाद के माध्यम से समन्वय किया जाता है।

(घ): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, असम सहित उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा आबंटित राशि के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण हेतु विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को अपनाया है। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) जिस पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किए जाते हैं, के बीच का अंतर, खाद्य सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और डीसीपी राज्यों को प्रतिपूर्ति किया जाता है। बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए एफसीआई को निधि भी जारी की जाती है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आबंटन के अनुसार होती है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा राज्यवार निधियाँ आबंटित नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पूल के लिए राज्यों द्वारा सौंपे गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को निधियाँ भी जारी की जाती है। असम केवल 2 जिलों के लिए डीसीपी राज्य है और इसने वर्ष 2023-24 से डीसीपी पद्धति को अपनाया है। डीसीपी पद्धति के तहत असम को जारी की गई खाद्य सब्सिडी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राशि (करोड़ रुपये में)**
1.	2020-21	-
2.	2021-22	-
3.	2022-23	-
4.	2023-24	-
5.	2024-25	-
6.	2025-26 (दिनांक 26.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	94.20

इसके अलावा, बाढ़ राहत कार्यों से संबंधित व्यय, जिसमें एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत किए गए कार्य भी शामिल हैं, राज्य सरकार/संबंधित प्राधिकरणों द्वारा वहन और संकलित किए जाते हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.04.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6121 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	ज़िला	उप-आबंटन (लाख टन)	उठाई गई मात्रा (लाख टन)
1	बजाली	48	0
2	बक्सा	20	0
3	बारपेटा	674	0
4	बिश्वनाथ	325	70
5	बोंगईगांव	186	0
6	कछार	957	437.49
7	चराइदेव	275	1.917
8	चिरांग	50	0
9	दरांग	1000	100
10	धेमाजी	477	100
11	धुबरी	1500	0
12	डिब्रूगढ़	276	49.22
13	दीमा हसाओ	20	5.81
14	गोलपाड़ा	432	0
15	गोलाघाट	480	236.9854
16	हैलाकांडी	152	222
17	होजाई	502	33.62
18	जोरहाट	250	6.2832
19	कामरूप	400	2.28
20	कामरूप (एम)	234	4.7
21	कार्बी आंगलोंग	120	39.45
22	कोकराझार	130	2.28
23	लखीमपुर	693	182.71
24	माजुली	377	0
25	मोरीगांव	621	0
26	नगांव	1000	123.1
27	नलबाड़ी	447	0
28	शिवसागर	605	38.38
29	सोनितपुर	323	74.69
30	दक्षिण सलमारा मनकाचर	500	0
31	श्रीभूमि	1000	546.44
32	तामुलपुर	93	0
33	तिनसुकिया	299	43.85
34	उदलगुड़ी	20	0
35	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	50	18.3
